न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
121/2025	05.08.2025	16-1-26

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भोलेश द्विवेदी आत्मज बजरंगलाल जी जाति ब्राहमण निवासी डंगावत्त तहसील दीगोद हाल निवास मकान नं० 13 कृष्णा नगर गली नं० ४ बजरंग नगर, कोटा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

–:: निर्णय ::–

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि वादी व उसके भ्राता नवल किशोर के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 77 की 0–68 हेक्टर भूमि वाके ग्राम भटखेडी पटवार हल्का चोमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी पेश है।

2– यह कि वादी के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 102 की 0–13 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0–50 हेक्टर खसरा नम्बर 98 की 0–12 हेक्टर कुल तीन किता की 0–75 हेक्टर भूमि वाके ग्राम डंगावद पटवार हल्का चोमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

3–यह कि उपरोक्त दोनों जमाबन्दी में वादी का नाम भोलेश कुमार अकित है। जो गलत है। वादी का नाम भोलेश द्विवेदी है तथा वादी के परिवार के राशन कार्ड में व आधार कार्ड पेन कार्ड में भोलेश द्विवेदी अंकित है इस कारण राजस्व रिकार्ड में भोलेश कुमार अंकित होने के कारण वादी अपने खाते व हिस्से की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त नही कर सकता है। इस सम्बन्ध में वादी ने पूर्व में बैंक में ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था किन्तु बैंक अधिकारी ने वादी का नाम राशन कार्ड में व अन्य दस्तावेजो में अलग अलग होने के कारण वादी को ऋण उपलब्ध नही हो सका।

4–यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भोलेश द्विवेदी के स्थान पर भोलेश कुमार दर्ज कर दिया है जो गलत है।

5– यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भोलेश कुमार के स्थान पर भोलेश द्विवेदी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में

वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 25–6–2025 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6– यह कि वाद कारण दिनांक 25–6–2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नहीं करने पर पैदा हुआ।

7–यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

8– यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। और वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1–कि ग्राम भटखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 77 की 0.68 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भोलेश कुमार के स्थान पर भोलेश द्विवेदी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2–कि ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 102 की 0–13 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0–50 हेक्टर, खसरा नम्बर 98 की 0–12 हेक्टरकुल तीन किता की 0–75 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीं का नाम भोलेश कुमार के स्थान पर भोलेश द्विवेदी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

कि प्रतिवादी के आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

कि बाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2076–2079 ग्राम डंगावद खाता सं0नया 28
2. नकल जमाबन्दी सवंत् 2076–2079 ग्राम भटखेडी खाता सं0नया 09
3. **नकल छायाप्रति पेनकार्ड,आधार कार्ड**

वाद पत्र दर्ज रज़िस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई **प्रतिवादी की ओर** से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को **साक्ष्य में नियत किया** गया। साक्ष्य PW1 में वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पूर्व में शामिल **मिसल है। तत्पश्चात** पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता **की सुनी गयी। वादी** के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

भोलेश द्विवेदी

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम भटखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 77 की 0.68 हैक्टर भूमि, ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 102 की 0–13 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0–50 हेक्टर, खसरा नम्बर 98 की 0–12 हेक्टर कुल तीन किता की 0–75 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी भोलेश कुमार के स्थान पर भोलेश कुमार उर्फ भोलेश द्विवेदी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भोलेश द्विवेदी आत्मज बजरंगलाल जी जाति ब्राहमण निवासी डंगावत्त तहसील दीगोद हाल निवास मकान नं० 13 कृष्णा नगर गली नं० ४ बजरंग नगर, कोटा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री ओमप्रकाश स्वर्णकार एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

मिसल नं 121 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम भटखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 77 की 0.68 हैक्टर भूमि, ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 102 की 0–13 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0–50 हेक्टर, खसरा नम्बर 98 की 0–12 हेक्टर कुल तीन किता की 0–75 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी भोलेश कुमार के स्थान पर भोलेश कुमार उर्फ भोलेश द्विवेदी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 16/1/26 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
श्मलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद